पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन,

18 नवंबर, 2021, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

सम्मेलन की कार्यवाही

पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रुप से, 'पेसा' के अधिनियमन के 25 वर्ष पूरे होने पर और साथ ही आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव (अकाम) समारोह के आयोजनों के एक भाग के रुप में एक 'पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय केबिनेट मंत्रियों और माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति के साथ ही दोनों मंत्रालयों के सचिव; अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय; महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान; महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी.पी.आर.); पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी.पी.आर.) के वरिष्ठ अधिकारीगण, पेसा राज्यों के पंचायती राज और जनजातीय विकास विभागों के प्रधान सचिव, और सिविल सोसाइटी संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। 10 पेसा राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने भी इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** में है। सम्मेलन का सीधा प्रसारण भी वेबकास्ट लिंक के माध्यम से किया गया था। सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम **अनुलग्नक-II** में है ।

सत्र - I : उद्घाटन सत्र

2. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने स्वागत संबोधन में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया, जो देश के अनुसूची V क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए पेसा कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक साथ आने के लिए दो केंद्रीय मंत्रालयों, अर्थात पंचायती राज मंत्रालय और जन जातीय कार्य मंत्रालय के बीच अच्छे सहयोग का एक उदाहरण था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करते हुए वन, भूमि, जल संसाधनों का मेल रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ इसी तरह का सहयोग किया गया था। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और माननीय राज्यपालों के कार्यालयों द्वारा भागीदारी करके और एक साथ काम करके ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं, जो पेसा जैसे कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में अति आवश्यक है। उन्होंने पेसा राज्यों से भाग लेने वाले अधिकारियों से उचित सुझाव आमंत्रित किए, जिन्हें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए उच्चतम स्तर पर उठाया जाएगा।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के महानिदेशक ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पेसा अधिनियम के 25 वर्षों के कार्यान्वयन का जायजा लेना है कि इसकी अब तक की क्या उपलब्धि रही है और आगे क्या कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि पेसा अधिनियम विशेष रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए है, इसलिए राज्य अधिनियमों और पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पेसा कानून के अनुरूप बनाया जा सके। ग्राम सभाओं को पेसा अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। अधिनियम में ग्राम सभाओं को अलग से परिभाषित किया गया है और यहां तक कि छोटे बसावों को भी गांव बनने और अपनी ग्राम सभा रखने की अनुमति है। इस अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय लोगों की सभी परंपरागत और प्रथागत प्रथाओं की रक्षा करने के लिए ग्राम सभाओं को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

तथापि, विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में भिन्नता हैं। पेसा के अस्तित्व में आने के 25 वर्षों के बाद भी इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं। जनजातीय लोगों और अधिकारियों के बीच जागरूकता की अभी भी कमी है। यहां तक कि ग्राम सभाओं के गठन में भी सीमित शक्तियां पाई गई हैं और संस्थागत व्यवस्था की भी कमियां हैं। पेसा से संबंधित मामलों के लिए राज्य के राज्यपालों के पास कई विशिष्ट शक्तियां हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इस संबंध में पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिनका अनुकरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया जा सकता है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी.पी.आर.) के महानिदेशक ने अपनी प्रस्तुति में आगे कहा कि आगे की कार्रवाई के रुप मे, जिन राज्यों में ये नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं, वहां पर पेसा नियम बनाना; राज्य अधिनियमों को पेसा अधिनियम के अनुरुप बनाना और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना होगा। ग्राम सभाओं द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) जारी करने के अनिवार्य प्रावधान को भी सुदृढ बनाया जाना है। ग्राम सभाओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर पर समर्पित पेसा सेल बनाए जाने की आवश्यकता है। पेसा ग्राम सभाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्य समितियों का गठन किया जाना है और पेसा के लिए प्रशासनिक मैनुअल तैयार करा कर राज्यों द्वारा परिचालित किए जाने हैं। क्षमता निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। पेसा निवासियों के लिए एम.एफ.पी. की उपयोगिता को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। जागरूकता में सुधार किया जाना चाहिए ताकि ग्राम सभाएं वास्तव में स्व-शासन की भूमिका निभा सकें। आयोजना और प्रशासन में बड़े पैमाने पर जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

4. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि अकाम समारोह के दौरान और पेसा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन एक विशेष अवसर है। उन्होंने जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक, पारंपरिक और सामाजिक व्यवस्था तथा उनके जीवन को जीने के प्राकृतिक तौर-तरीकों का सम्मान सुनिश्चित करते हुए उनका अनुकूलतम विकास करने में सहायता करने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के विजन को भी साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी के लिए महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के बलिदान का स्मरण किया। जनजातीय क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए, सरकार ने बिरसा मुंडा शताब्दी समारोह मनाना शुरू किया है। उन्होंने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि दिलीप सिंह भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के परिणामस्वरूप ही दिसंबर, 1996 में पेसा अधिनियम पारित हुआ था। उन्होंने उल्लेख किया कि महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल ने पेसा से संबंधित प्रावधानों पर समन्वय के लिए कई उदाहरण दिए हैं। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री को भी पंचायतों, जनजातीय मामलों और राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है और इस सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष रुप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पेसा अधिनियम को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि जनजातीय आबादी को लाभ मिल सके।

5. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में, जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बजट प्रावधानों में काफी वृद्धि हुई है और जनजातीय लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने सरकारी धन का उचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि जनजातीय लोगों के जीवन में तेज गति से असल परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

6. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने सुझाव दिया कि सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक संदर्भ में पेसा के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में औसतन 10 लाख की आबादी वाले 700 से अधिक जनजातीय समूह मौजूद हैं और

इसलिए उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना आवश्यक है। छह राज्यों द्वारा पहले ही विशिष्ट पेसा नियमों को लागू कर दिया गया है जबकि 4 राज्यों द्वारा अभी विशिष्ट नियम बनाकर पेसा को लागू किया जाना शेष है। उन्होंने इन राज्य सरकारों से भी ऐसे ही प्रयास करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। चूंकि सरकार और जनजातीय लोग समान रूप से ग्राम सभाओं की भूमिका निभाना चाहते हैं, इसलिए राज्यों को भी, जैसा कि पेसा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के गठन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, पेसा के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर एक संस्था के रूप में ग्राम सभा को सशक्त बनाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग से निधियां जारी होना एक निर्वाचित और विधिवत रुप से गठित पंचायत के लिए पात्रता की शर्त है, इसलिए पेसा की अनुपालना के लिए भी इसी प्रकार की शर्त आ सकती है, जिसके लिए निवारक कदम उठाते समय इस पर ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। पीआरआई और पेसा संस्थानों, दोनों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने की आवश्यकता होती है। ऐसी जी.पी.डी.पी. में ग्राम सभाओं को शामिल करना चाहिए और उनकी परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे विकास का एक नया मॉडल बन सकता है। लोकतंत्र की प्रभावकारिता को दिखाने के लिए 25 साल का समय काफी लंबा होता है, इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि सभी एक साथ आकर काम करें और यहां तक कि मुख्यमंत्रियों को भी इन प्रयासों में शामिल होना चाहिए ।

7. माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज के समय में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए बहुत ही उपयोगी चर्चा करने का अवसर मिला है। 25 वर्षों में यह पहला सम्मेलन है, जिसमें कि पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय पेसा पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हैं। यह कमियों पर समग्र चर्चा करने और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की एक शुरुआत है। इन चर्चाओं से कई कमियों को दूर किया जा सकेगा। जब हम स्वराज की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम किस प्रकार से आदिवासियों के सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन को गांवों की शासन व्यवस्था में मिला सकते हैं। हमें संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने की जरूरत है और वे ग्राम स्वराज स्थापित करने में सक्षम होने चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि पंचायती राज और आदिवासी जीवन शैली के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भावना को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमें संवैधानिक व्यवस्था के भीतर ग्राम सभा के कार्यों के बारे में सोचना है। वे वैसे भी पारंपरिक तरीकों से अपने जीवन के तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं और अब चुनौती इस बात की है कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ कैसे एकीकृत किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम स्वराज को प्राप्त करते समय स्वशासन को संवैधानिक प्रावधानों के साथ शामिल कर लिया गया है।

8. माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि संवैधानिक प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यों के राज्यपालों के लिए कई विशिष्ट प्रावधान हैं। उन्हें प्राप्त अधिकांश रिपोर्टों में वास्तविक और वित्तीय कार्यान्वयन पहलू शामिल होते हैं। लेकिन, कई बार, ऐसी रिपोर्टें केवल तकनीकी पहलुओं को ही स्पष्ट करती हैं, किंतु वास्तव में इसके पीछे की भावना पर जोर दिया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर मौजूद वास्तविक स्थिति, उदाहरण के लिए, जनता की छानबीन आदि के माध्यम पता चली स्थिति से बिल्कुल अलग होती है। हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। इन रिपोर्टों में जो कुछ भी दिखाया गया है, प्रभाव का परिणाम वही रहता है। इसलिए आदिवासियों के पारंपरिक जीवन जीने के तरीकों के अनुरूप विकास करना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए।

9. माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि वन उत्पादों तक पहुंच के संबंध में जनजातियों के मौलिक अधिकारों पर विचार करने के लिए संसद में हुई चर्चा में 1900 के दशक में बने वन अधिनियमों के निर्माण का संदर्भ है। लेकिन इनमें जनजातियों के संबंध में कोई विशेष संदर्भ नहीं है और यह भी नहीं संदर्भ नहीं है कि वे जंगलों में रह रहे हैं या बाहर। हालांकि वन मंत्रालय सहित विभिन्न

मंत्रालयों के बीच वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों पर चर्चा चल रही है, लेकिन समन्वित तरीके से परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। इन अधिनियमों की भावना के अनुरुप विभिन्न गतिविधियां की जानी चाहिए न कि सामान्य प्रशासनिक तरीके से। जनजातियों के बारे में अपने राज्य से जुड़े मुद्दों से संबंधित काम करने के बजाय राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर काम करना चाहिए।

10. माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने भी पेसा और एफ.आर.ए. के विलय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज अधिकारियों और जनजातीय कार्य से संबंधित अधिकारियों को भी उपरोक्त पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि योजनाओं में स्पष्टता हो। इस संबंध में, राज्य स्तर पर पंचायती राज और जनजातीय कार्य से संबंधित अधिकारियों के पास एक कार्यक्रम होना चाहिए ताकि जनजातीय मुद्दों के बारे में स्पष्ट जानकारियां हों। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/ सिविल सोसाइटी संगठनों (सी.एस.ओ.) को भी जमीनी स्तर पर महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने में सक्षम हैं। जहां प्रशासन जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां एन.जी.ओ. नेटवर्क के जरिए ऐसा किया जा सकता है। पेसा पारित होने के दौरान संसद में हुई विस्तृत चर्चाओं का पंचायती राज और जनजातीय कार्य से संबंधित अधिकारियों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि पेसा के अंतर्निहित प्रासंगिक तथ्यों को इसकी प्रस्तावना और आशय के साथ समझा जा सके। अनुसूची-V क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यपालों को कई शक्तियां हैं और वे कई उपाय भी कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जलवायु परिवर्तन के संबंध में सार्वभौमिक एकीकरण के आधार पर "एक सूर्य एक ग्रिड" के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय संरक्षण में, जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से पेसा अनुसूचित क्षेत्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

11. माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि डेटाबेस की उपलब्धता के संबंध में भी चर्चा की जानी चाहिए। एक प्रावधान यह है कि कोई भूमि हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन भूमियों के संबंध में कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है। चाहे यह राज्य का विषय है, लेकिन चूंकि यह एक संवैधानिक मामला है, इसलिए संवैधानिक अधिकार वाले राज्यपालों को, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रुप में ऐसे आंकड़ों तक पहुंच होनी चाहिए। जब आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार उनके पारंपरिक/ आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुरूप होने थे, तो केंद्रीय डेटाबेस भी उपलब्ध होना चाहिए। जब हम स्वराज के जरिए स्व-शासन के मुख्य उद्देश्य को हासिल करने में सक्षम होंगे और गांव की मूल इकाई, एक आदिवासी व्यक्ति, जो अपनी पारंपरिक और सांस्कृतिक जीवन शैली का पालन करते हुए सभी सुख-सुविधाओं के साथ रहता हो, तो हम वास्तव में और गर्व के साथ आजादी का अमृत महोत्सव की भावना को स्थापित करने में सक्षम होंगे।

12. महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत राज्यपालों को विशेष भूमिका प्रदान की गई है। इस संबंध में, उनके पास महाराष्ट्र विकास बोर्डों के साथ परस्पर चर्चा के अलावा कई व्यक्तिगत अनुभव हैं। जनजातीय क्षेत्रों में, यहां तक कि आजादी के 75 सालों के बाद भी, कई और काम किए जाने शेष हैं। इस दिशा में पेसा अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी में काम करने वाले लोगों को जनजातीय क्षेत्रों का दौरा करने और विशेष रुप से गांवों में रह रहे उन लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके। आदिवासी मूल रूप से स्वभाव में बहुत सीधे सादे होते हैं। उनके साथ रहकर दिव्य अनुभूति हो सकती है। हमें उनकी अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा करनी है और उन्हें विकास और आधुनिकीकरण की ओर भी ले जाना है। महाराष्ट्र में, जनजातीय युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं। ऐसी प्रतिभाओं का उपयोग और सुधार कैसे किया जाए, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है।

13. महाराष्ट के महामहिम राज्यपाल ने यह भी बताया कि आदिवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र अधिनियमों में पेसा से संबंधित प्रावधानों में पहले से ही विभिन्न पहलुओं को शामिल

करते हुए 15 संशोधन किए जा चुके हैं। कई गांवों में, इन प्रावधानों से ग्राम सेवकों और अन्य अपेक्षित अधिकारियों के पदों का सृजन होने जैसे आर्थिक कल्याण के कार्यों में योगदान मिला है। अभी भी कई आदिवासी स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। यहां तक कि मुंबई से 100 किलोमीटर दूर होने पर भी मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का अभाव है। इस संबंध में उन्होंने इस तथ्य पर खुशी व्यक्त की कि केंद्र सरकार ने 5000 से अधिक ऐसे गांवों में भविष्य की मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है। इस तरह से, वे नवीनतम प्रौद्योगिकी के सभी लाभों का उपयोग कर पाएंगे।

14. महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने यह आग्रह किया कि अलग-अलग राज्यों की विशेषताओं सहित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करके भावी कार्यान्वयन के लिए समाधान का खाका तैयार किया जाना चाहिए। वन विभागों को भी इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि जनजातीय लोग सहज रूप से वनों के साथ जुड़े हुए हैं। सरकारी योजनाओं में मोबाइल, सड़क संपर्क आदि जैसी चीजों के अलावा आदिवासी लोगों की सभी जरुरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों मंत्रियों के उचित मार्गदर्शन और नेतृत्व में अकाम के विजन को पूरा करने की दिशा में अच्छे परिणाम हासिल होंगे।

15. पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सत्र का समापन किया गया।

सत्र I - पेसा की विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था

यह सत्र माननीय जनजातीय मंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता महानिदेशक, आईआईपीए ने की थी।

<u>संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुती के मुख्य बिंदु</u>

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मत्रालय ने अपनी प्रस्तुति में, पेसा राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के बुनियादी आंकड़े प्रदर्शित किए। उन्होंने पेसा में पंचायती राज मत्रालय की विभिन्न पहलों के बारे में भी विस्तार से बताया, जो इस प्रकार हैं :

- राज्यों को पेसा मॉडल नियम परिचालित किए गए। 6 राज्यों ने पेसा नियम बनाए हैं। शेष 4 राज्यों द्वारा नियम बनाने का कार्य यथाशीघ्र शुरु किया जाए।
- पेसा राज्यों के लिए विशेष जी.पी.डी.पी. दिशानिर्देश 2015 में प्रसारित किए गए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार जी.पी.डी.पी. की प्रक्रिया शुरु की जाए।
- पेसा पर मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई।
- पेसा राज्यों में पेसा कार्यशालाएं आयोजित की गई और जी.पी.डी.पी. अभियान चलाए गए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेसा दिशानिर्देश तैयार करते समय पेसा राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के संस्थायन पर योजना आयोग के दस्तावेज को ध्यान में रखा गया होगा।

पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विवाद समाधान के प्रथागत तरीकों, निधियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र जारी करने, भूमि हस्तांतरण को रोकने, खनिजों के दोहन की सिफारिश करने, नशीले पदार्थों को विनियमित करने की शक्ति और लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि पेसा राज्यों में आयोजित ग्राम सभाओं में उपस्थिति अभी भी महिलाओं सहित अपेक्षाकृत कम है। अत: इसमें और सुधार किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने पेसा के संबंध में अनुपालना की स्थिति और इसमें आगे सुधार किए जाने की संभावना का भी उल्लेख किया। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 4 की अनुपालना में भी राज्यों में भिन्नता है और इसलिए राज्यों द्वारा इनकी समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव इस प्रकार हैं - पेसा की अनुपालना के लिए अधिनियमों/ नियमों में संशोधन करना, निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का हस्तांतरण करना।

भावी कार्रवाई के रुप में अधिनियमों/ नियमों की तत्काल समीक्षा करना, क्षमता निर्माण को मजबूत करना, आर.जी.एस.ए. प्रावधानों का उपयोग करके मोबिलाइज़र आदि का उपयोग करना, अभियान चलाकर जागरूकता पैदा करना और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित करना होगा।

इसके बाद महानिदेशक, आईआईपीए ने अलग-अलग राज्यों को अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया।

सचिव, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें

सचिव, पंचायती राज, छत्तीसगढ़, ने अपनी प्रस्तुती में बताया कि पेसा के प्रावधान राज्य के पंचायती राज अधिनियम में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। विभिन्न अधिनियमों में भी संशोधन किए जा चुके हैं। मॉडल पेसा अधिनियम के सभी प्रावधान भी किए जा चुके हैं। प्रस्तावित पेसा नियम सार्वजनिक डोमेन में रखे गए हैं। जनजातीय प्रतिनिधियों सहित सभी से परामर्श करने के बाद, माह जनवरी 2022 तक इसे अंतिम रुप दिया जाएगा।

राजस्व विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, खनन विभाग और कृषि (मत्स्य पालन) विभाग के संबंधित अधिनियमों/ नियमों में ग्राम सभा के साथ परामर्श करने की आवश्यकता और उनके निर्णयों की अनुपालना करने संबंधी संशोधन पहले ही उनके किए जा चुके हैं।

राज्य में वन विभाग ने अधिक काम नहीं किया है और इस संबंध में अभी भी चर्चा जारी है।

जहां तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संबंध है, 5 डिवीजनों में पेसा समन्वयक और मोबिलाइज़र तैनात हैं।

सामुदायिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भूमि के दावों को पूरा किया गया है। वन अधिकारों के मालिकाना हक के दावों का भी निपटारा कर दिया गया है। पर्यावास अधिकारों के दावों पर कार्रवाई की जा रही है।

राज्य का 30% से अधिक बजट जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए प्रदान किया जाता है और बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों के लिए उन्नत शिक्षा सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।

कई आदिवासी उन्मुखी प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे भी बनाए गए हैं।

उन्होंने भारत सरकार के मॉडल नियमों के अनुसार मॉडल पेसा नियमों में कई संशोधन किए हैं। उदाहरण के लिए, योजनाएं बनाने के लिए बजट प्रावधानों के बारे में पहले से जानकारी होगी। पदाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। सभी प्रकार निर्माणों और कार्यान्वयन कार्यों के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। शांति समितियों को उल्लंघनों के लिए साधारण दंड लगाने का अधिकार दिया गया है।

इससे पहले, बस्तर मामलों के संबंध में, पूरी कैबिनेट की बैठक होती थी और तुरंत निर्णय लिए जाते थे तथा निर्णयों की घोषणा की जाती थी। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उसी स्थान के लोगों की नियुक्ति की गयी है। निधियां भी उपलब्ध करा दी गई हैं। बस्तर मामलों की समिति के अध्यक्ष पहले मुख्यमंत्री थे, अब उनके स्थान पर संबंधित विधायक हैं।

सचिव, जनजातीय कार्य, छत्तीसगढ़ ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न प्रावधानों की निगरानी की जा रही है। वे वन विभाग के साथ भी समन्वय करते हैं।

<u>सचिव, जनजातीय कार्य/ पंचायती राज, मध्य प्रदेश द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u>

सचिव, जनजातीय कार्य/ पंचायती राज, मध्य प्रदेश ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि राज्य में तैयार किए गए मॉडल नियमों को सभी विभागों को परिचालित कर दिया गया है और उनके समक्ष प्रस्तुतियां की गई हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ भी व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इन नियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभाओं की शक्तियों के प्रावधान जोड़े गए हैं। पंचायत निर्णय, योजनाओं और कार्यक्रमों, धन के उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.), लघु जल निकायों, लघु सिंचाई, खनन आदि के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन लिया जाना है, इस प्रकार से मॉडल पेसा नियमों की पूरी तरह से अनुपालना करनी होगी।

एम.एफपी. को भी पहले प्रायोगिक आधार पर ग्राम सभा के दायरे में लाया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण को रोकने के उपायों के साथ ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति को भी शामिल किया जाएगा।

गृह विभाग से संबंधित सुरक्षा और विवाद समाधान के संबंध में छत्तीसगढ़ की तरह कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त लगभग सभी प्रावधान अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। पेसा की तरह की ग्राम सभाओं की अभी मांग नहीं की जा रही है क्योंकि पीआरआई ग्राम सभा बेहतर कार्य कर रही हैं, जहां आदिवासी भी भाग ले रहे हैं। समन्वयकों की नियुक्ति आदि में आर.जी.एस.ए. आदि के माध्यम से मदद की जा रही है।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कानूनों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करके मॉडल नियम बनाए गए हैं। मसौदा नियम अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं, किंतु उपरोक्त परामर्श के बाद प्रकाशित किए जाएंगे।

भूमि हस्तांतरण का ध्यान रखने के लिए उन्हीं क्षेत्रों में गोवर्जन शिफ्टिंग की जाएगी

ग्राम सभा एक सक्षम प्रावधान के रूप में बस्तियों के लिए अलग ग्राम सभाओं की आवश्यकता के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है।

प्रस्तुति के अंत में, यह सुझाव दिया गया कि इस आवश्यकता का और अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या गांवों/ बस्तियों की संख्या के अनुसार ग्राम सभा अनिवार्य होनी चाहिए, जिसमें ओडिशा का मॉडल भी शामिल है, जहां ग्राम सभा के अलावा पल्ली सभाएं मौजूद हैं।

<u>सचिव, पंचायती राज, ओडिशा द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u>

सचिव, पंचायती राज, ओडिशा ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि पंचायती राज अधिनियमों में पेसा के अनुरूप संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं।

वन विभागों ने अपने नियमों में ग्राम सभा को शक्तियां दी हैं। पेसा की अनुपालना के लिए नियमों और विनियमों में भी संशोधन किया गया है। सरकार ने कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अगला चुनाव 22 फरवरी को होना है। विभिन्न पदों के लिए इन चुनावों में अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण किया गया है। पी.आर.आई. सदस्यों के लिए पेसा के संबंध में प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है।

उड़िया और 10 जनजातीय भाषाओं में पेसा दिशानिर्देशों का परिचालन हेतु अनुवाद किया गया है।

उन्होंने उल्लेख किया कि पेसा नियमों का मसौदा तैयार है, लेकिन अभी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।

उन्होंने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया कि न्यूनतम आबादी के निर्धारण के अभाव में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें और राजस्व गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है।

आगे की कार्रवाई के रूप में, उन्होंने बताया कि बुनियादी सेवाओं पर कई बुनियादी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी काम किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य विभाग, ओडिशा के निदेशक ने यह बताया कि वे पेसा की भावना को बनाए हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भूमि के लिए दावों को मंजूरी दी गई है और वन भूमि के रूपांतरण आदि के लिए दावे भी किए जा रहे हैं। वे राज्य वन विभाग के साथ भी मिलकर काम करते हैं।

चर्चा के अंत में, यह सुझाव दिया गया कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार पेसा अधिनियम में उपयुक्त संशोधन लाकर ग्राम सभाओं के नीचे ओडिशा में पल्लीसभा जैसी ग्राम स्तरीय ग्राम सभाओं के प्रावधान के लिए एक समान वैधानिक प्रावधान प्रदान करने की आवश्यकता की जांच करे।

<u>सचिव, पंचायती राज, झारखंड द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u>

पंचायती राज सचिव, झारखंड द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह बताया गया कि राज्य में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति की आबादी है और ग्राम पंचायतों की तुलना में 8 गुना के अनुपात में अधिक ग्राम सभाएं हैं। उन्होंने सभी राजस्व गांवों को ग्राम सभा के रूप में अधिसूचित किया है।

कई निर्वाचित पदों पर, कानूनी स्थिति यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% या अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुसार कम नहीं होना चाहिए, अत: कुछ स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों का वास्तविक अनुपात 80% तक चला जाता है। राज्य के पंचायती राज अधिनियमों के प्रावधानों को पहले न्यायिक रूप से चुनौती दी गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2010 में इसका निपटान कर दिया है। राज्य के पंचायती राज अधिनियम में पेसा की पूरी तरह से अनुपालन की गई है। इन प्रावधानों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पहले ही हो चुके हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में इसके विरुद्ध दायर जनहित याचिका भी खारिज की जा चुकी है।

पंचायजी राज अधिनियम के प्रावधानों में, चार शर्तों का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, अर्थात् ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की अध्यक्षता, स्थानीय न्यायिक समितियों के माध्यम से भूमि विवादों का निपटान और भू-राजस्व संग्रहण । यह अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अनुरूप भी है।

राज्य ने ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा की है। निधियों का प्रमाणन भी ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के नियमों में पहले से ही आवश्यक ग्राम सभा अनुमोदन जैसे पेसा अनुपालन के प्रावधान हैं। अत: पेसा अधिनियम की धारा 4 का राज्य द्वारा पहले ही अनुपालन किया जा चुका है और वे कई बार महसूस करते हैं कि पहले से ही अनुपालन होने के कारण अलग पेसा नियमों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, रेत खनन आदि में, वे पहले से ही अनुपालन कर रहे हैं और लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) के संबंध में, अपने स्वयं के स्थानीय उपयोग के लिए ले जाने की अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और ग्रामीण बाजारों के संबंध में, विपणन संघ के नियमों को निरस्त कर दिया गया है।

उन्होंने उत्पाद शुल्क विभाग की चिंताओं के रूप में सामने आ रही चुनौतियों का उल्लेख किया, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक है, वहां शराब की दुकानों के लिए अनुमति से इनकार करने का एक व्यापक प्रावधान है, भले ही ग्राम सभाओं की अन्यथा सहमति हो। हालांकि, महुआ पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, जबकि यह स्थानीय शराब है।

भूमि हस्तांतरण और भूमि बहाली तथा किराएदारी के प्रावधानों के संबंध में, पुराने नियमों को अब बदला जा रहा है। इसी तरह अपराध नियंत्रण पर भी पुलिस विभाग को भरोसे में लिया जा रहा है।

प्रस्तुति के अंत में, ग्राम सभा प्रस्तावों पर ग्राम पंचायतों के अनुमोदनों के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने पर सुझाव दिया गया।

सत्र और चर्चा

तेलंगाना के प्रतिनिधि ने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्रों में परिवर्तित करने के संबंध में एक मुद्दा उठाया। राज्य को इस संबंध में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि बड़ी आबादी वाले कुछ बड़े पेसा गांवों को नगरपालिकाओं में परिवर्तित किया जाना है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए पेसा के समान इसी तरह के अधिनियम के अभाव में, इसके लिए कठिनाइयां सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि ने बताया कि मध्य प्रदेश में, ऐसी नगरपालिकाओं में, जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है, वहां पर अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

इस संबंध में, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने यह अवगत कराया कि वर्तमान में इसके लिए एक विधेयक संसद की स्थायी समिति के पास लंबित है।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने अपने समापन भाषण में इस बात के लिए आगाह किया कि अनुसूची-V क्षेत्रों और पेसा में सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मूल अवधारणा है और इन्हें सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों का शहरीकरण भविष्य के लिए समस्याएं दे सकता है। यद्यपि इस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए संविधान की भावना को ध्यान में रखना होगा। हालांकि एक समिति इन सभी मुद्दों पर विचार कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए कि संविधान की मूल भावना का पालन किस प्रकार से किया जाए, न कि किसी सुविधा को ध्यान में रख कर। प्रमुख संसाधन जैसे कि जल, पारिस्थितिकी, वन आदि सभी केवल ऐसे जनजातीय क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि ये संसाधन नष्ट हो जाएं। पंचायती राज, जनजातीय कार्य, वन, सिविल सोसाइटी आदि को मिलाकर एक समिति इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से भी उठा सकती है। इसी प्रकार, भूमि संसाधनों पर डाटाबेस तैयार करना एक अन्य मुद्दा है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि हस्तांतरण आदि के संबंध में आंकडे, जिन्हें मंत्रालय को रखना होता है, आजकल खुले डोमेन में रखने की मांग की जा रही है। 4 राज्यों में नए पीईएसए नियमों को अधिसूचित करते समय इन बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र का समापन हुआ।

सत्र II : पेसा राज्यों में संसाधन व्यवस्था

पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा सत्र 'पेसा राज्यों में संसाधन व्यवस्था' विषय पर आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता और संचालन श्री नवलजीत कपूर, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया।

ओडिशा राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- ओडिशा में जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टी.एस.एस. से एस.सी.ए.) कार्यक्रम के सुचारू संचालन और ग्राम विकास योजनाओं (वी.डी.पी.) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।
    - विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव अधीन राज्य स्तरीय वी.डी.पी. का निर्माण
    - जिला मजिस्ट्रेट के अधीन आयोजना एवं निगरानी समिति
- जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ओडिशा ने गैर-सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है, जो ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण में सुविधा प्रदान करेंगे। 4 गैर-सरकारी संगठनों का चयन पहले ही किया जा चुका है और अनुमान है कि ये गैर-सरकारी संगठन अगले चार माह में वी.डी.पी. दस्तावेजीकरण और उसके बाद की अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे।
- एस.सी.ए. के अंतर्गत वर्ष 2021-26 तक की अवधि के लिए 50% जनजातीय आबादी को शामिल करते हुए 1653 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण के लिए 272 गांवों की पहचान की गई है और राज्य ने मंत्रालय से निधियों के प्रावधान के लिए अनुरोध किया है।
- इस बीच ग्राम अंतराल मूल्यांकन, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और आवश्यकता मूल्यांकन जैसी गतिविधियां शुरू की जा रही हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाएं आयोजित करने और पेसा अधिनियम के सबंध में संसाधन सामग्री का प्रकाशन करने के लिए टी.आर.आई. की सहायता कर रहा है।.
- पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2019 से, 2432 अधिकारियों, क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों ने पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम, एलटीआर आदि सहित इसके संबंद्ध विषयक कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।
- ग्रामीण स्तर पर पेसा प्रावधानों के संबंध में कानूनी ज्ञान का प्रसार करने के लिए कल्याण और शिक्षा सहायकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ. टी) कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने प्रस्तुतीकरण के अंत में टिप्पणी की कि संसाधन आवंटन में अभिसरण लाना महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- कार्रवाइयां और उपलब्धियां :
    - पेसा नियमावली, 2014 के अंतर्गत नए पेसा ग्रामों के गठन के लिए प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। अब तक अनुसूचित क्षेत्रों में करीब 3000 नए पेसा ग्रामों का गठन किया जा चुका है।
    - महाराष्ट्र सरकार ने जनजातीय विकास विभाग की वित्त व्यवस्था से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर एक राज्य पेसा प्रकोष्ठ की स्थापना की है।
    - महाराष्ट्र राज्य ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा 5% आबंध निधि योजना की घोषणा की है। यह प्रावधान पेसा ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति योजना के लिए कुल परिव्यय की 5% राशि प्रदान करने के लिए किया

गया है। महाराष्ट्र राज्य देश में "पेसा 5% आबंध निधि योजना" को लागू करने वाला एकमात्र राज्य है।

- वर्ष 2015 से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और पेसा ग्रामों को 1320 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। पेसा 5% आबंध निधि के लिए प्रत्येक पेसा ग्राम के लिए एक अलग "ग्राम सभा कोष" की स्थापना की गई है। "पेसा 5% आबंध निधि योजना" से ग्राम सभाओं के लिए एक स्वतंत्र पहचान बनी है।
- पेसा ग्रामों में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। लघु वन उत्पादों के उचित प्रबंधन से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही, कई गांवों में परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण करने के लिए आबंध निधि का समुचित उपयोग भी किया जाता है।
- प्रत्येक पेसा ग्राम के लिए ग्राम सभा द्वारा "प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन समिति" और "ग्राम सभा कोष" का गठन किया जाता है। महामहिम राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपलब्ध तेंदूपत्ता, बांस, औषधीय पौधे, मोहा फूल आदि जैसी लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) को एकत्र करने और बेचने के अधिकार के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
- विगत में वन विभाग द्वारा लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) की बिक्री की जाती थी। इस प्रक्रिया में, केवल बड़े व्यापारी लाभार्थी होते थे। हालांकि, लघु वन उपज (एम.एफ.पी.) की बिक्री और निपटान का अधिकार सीधे पेसा ग्रामों को दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, पेसा के कुछ ग्राम रॉयल्टी की राशि के कारण आत्मनिर्भर हो गए हैं।
- पेसा क्षेत्रों में जी.पी.डी.पी. योजना के लिए आवंटित निधियों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें 'बुनियादी अवसंरचना', 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा', 'जैव विविधता का संरक्षण' और 'जल संचयन और मृदा संरक्षण' शामिल हैं। ग्राम सभा द्वारा 3 लाख रुपए से कम की किसी भी गतिविधि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान की जा सकेगी।
- महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तथ अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है। मराठी भाषा में पेसा पर पुस्तिकाएं भी तैयार की गई हैं।

- भावी कार्रवाई :
  - पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य पेसा सेल को मजबूत करना।
  - अनुसूचित क्षेत्रों के कई ग्रामों में गैर-जनजातीय समुदायों की बड़ी आबादी होने के कारण अनुसूचित क्षेत्रों की कुल आबादी के अनुपात में गैर-जनजातीय आबादी के लिए बजट प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है।
  - अनुसूचित क्षेत्र के सतत विकास और पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह पेसा के लिए **'राष्ट्र स्तरीय व्यापक योजना'** लागू करे।
  - अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर एक योजना के रूप में आबंध निधि का प्रावधान किए जाने की जरूरत है।

- इसमें बुनियादी अवसंरचना का विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण क्रियाकलाप, आईईसी क्रियाकलाप, पेसा योजनाओं/ क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित तंत्र की स्थापना, निगरानी, मूल्यांकन आदि शामिल हैं।
- पेसा के लिए एक स्वतंत्र निदेशालय की आवश्यकता है। इसके लिए जनशक्ति और समर्पित मशीनरी आवश्यक है।

<u>तेलंगाना राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

- राज्य में ग्राम विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता के रूप में 15वें वित्त आयोग अनुदान के अनुरूप आनुपातिक हिस्सा जारी किया जा रहा है।
- पेसा क्षेत्रों में, सभी ग्राम सभाओं और बस्तियों को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन किया जाता है।
- पहले ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपये से कम की गतिविधियों के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था, तथापि, नए पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों को अपनी गतिविधियों के लिए उनके पास उपलब्ध सभी निधियों के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष विकास निधि (वित्तीय संसाधनों का नियोजन, आवंटन और उपयोग) अधिनियम 2017 का अधिनियमन किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :
  - नीचे से लेकर ऊपर तक (बॉटम अप) योजना प्रकिया
  - अग्रेनीत प्रावधान
- सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी अवसंरचना के लिए निधियां निर्धारित की जाती हैं।
  - 3 फेज बिजली के लिए मांग भी देखने में आई है, जिसकी निर्धारित निधियों का उपयोग करके पूर्ति की जा रही है। लगभग 3765 जनजातीय ग्रामों और बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए करीब 260 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक राज्य स्तरीय परियोजना शुरू की गई है।
  - पेसा क्षेत्रों में लगभग 1952 ऐसे लघु जल निकायों की पहचान की गई है, जिनका उपयोग वर्तमान में कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। लघु जल निकायों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को राज्य मत्स्य विभाग से निधियां आबंटित की गई हैं।
- ग्रामीण स्तर पर योजना बनाते समय, ग्राम के अंतर्गत आने वाली सभी बस्तियों को शामिल किया जा रहा है।
- अनुसूचित जनजाति विशेष विकास निधि के अंतर्गत निधि एकत्रीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नोडल एजेंसी स्थापित की गई है।
- नए पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, यदि वर्तमान राजकोषीय वर्ष में व्यय की पूर्ति नहीं की जाती है, तो इसे अगले वर्ष के बजट के अलावा अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत जाएगा।

<u>व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

- 14वें वित्त आयोग ने ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुदानों की सिफारिश नहीं की थी, जहां पर भाग IX और IXक लागू नहीं होता है और इसे अन्य क्षेत्रों के समान उनके विकास के लिए प्रत्यक्ष रुप से हस्तक्षेप करने का निर्णय लेने के लिए सरकार पर छोड़ दिया। परिणामस्वरुप, भारत सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की उसी दर से विशेष सहायता स्वीकृत की, जिसकी सिफारिश आयोग ने सामान्य श्रेणी के राज्यों / क्षेत्रों के लिए की थी। तथापि, आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के आबंटन पर कार्य करते समय अनुसूची-V क्षेत्रों को शामिल किया था।

- 15वें वित्त आयोग का विचार था कि भारत में प्रत्येक ग्रामीण निवासी को प्रति व्यक्ति अनुदान देय होना चाहिए और स्थानीय सरकारों को हस्तांतरण के मामले में सभी राज्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिए जाने के लिए यह सिफारिश की गई थी कि ऐसे क्षेत्रों को भी अनुदान वितरित किया जाना चाहिए, जहां पंचायतों (6 वीं अनुसूची क्षेत्रों और बाहर किए गए क्षेत्रों) की आवश्यकता नहीं है ताकि उनके संबंधित स्थानीय स्तर के निकायों द्वारा बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हो सके।

- जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में राज्य के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुदान की सिफारिश की गई।

- व्यय विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली और दूसरी किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अपने समापन भाषण में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- केंद्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी निधियों में अभिसरण होना महत्वपूर्ण है।

- निधियों के प्रभावी अभिसरण के लिए पेसा क्षेत्रों के ग्रामों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

- पेसा क्षेत्रों में पंचायत अधिकारियों के क्षमता निर्माण और नागरिकों में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

<u>सत्र III : योजना और कार्यान्वयन -आगे की कार्रवाई</u>

पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का तीसरा सत्र 'योजना और कार्यान्वयन- आगे की कार्रवाई' विषय पर आयोजित किया गया। डॉ चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सत्र की अध्यक्षता और संचालन किया गया।

सत्र की शुरूआत में संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'योजना और कार्यान्वयन - आगे की कार्रवाई' विषय पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति की गई और उनके बाद राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुति की गई।

<u>गुजरात राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

राज्य पेसा गतिविधियों के लिए आगे की कार्रवाई :

- महिलाओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और ग्राम सभाओं में उनकी भागीदारी में सुधार लाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा से पहले 'महिला सभाओं' का आयोजन करना

- पेसा क्षेत्रों में आर.जी.एस.ए. के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की

जाएंगी। पेसा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अगले 2 माह के भीतर गुजराती में संदर्भ सामग्री तैयार की जाएगी।

- योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी कमी को दूर करने के लिए ग्राम सभाओं में लाइन विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
- ब्लॉक और जिला स्तरों पर संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए एक क्लस्टर में ग्राम सभाओं के कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी।
- राज्य में 100 दिनों की समय सीमा में 250 ग्राम पंचायतों में चल रहे अभिसरण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत के स्तर पर उपलब्ध 15 वें वित्त आयोग की निधियों और मनरेगा निधियों के अभिसरण को बढ़ावा देना।

हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- जिला लाहौल और स्पीति के लाहौल उप-मंडल को छोड़कर, जहां अक्टूबर 2021 में चुनाव हुए, राज्य में माह जनवरी 2021 में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव किए गए थे।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) और अधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण चल रहा है।
- क्षमता निर्माण के लिए पेसा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल पहले ही तैयार किया जा चुका है और सीबीटी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।
- पेसा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा में पठन सामग्री तैयार की गई है और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) को वितरित की जाएगी।
- समग्र अनुसूचित क्षेत्रों में सभी पंचायत समितियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान की गई है और राज्य सरकार की ओर से पंचायत पदाधिकारियों के साथ-साथ पंचायत कार्मिकों सहित जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे बातचीत करने का प्रयास किया जाता है।

भावी कार्रवाई :

- पेसा क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना, जिसमें पूर्व पदाधिकारी विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं।
- पेसा सलाहकार की नियुक्ति करना।
- पेसा प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर संबंधित लाइन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- जनजातीय अधिकारों के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के संबंध में ग्राम सभा के सदस्यों को अवगत कराना।
- उच्चतम स्तर पर पेसा के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करना।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम सभा सदस्यों को पेसा की पठन सामग्री वितरित करना।
- पेसा के समुचित कार्यान्वयन में राजस्व, उद्योग, वन, कृषि आदि जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी।

<u>राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

- पेसा क्षेत्रों के अपने राजस्व स्रोतों में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं।
- ग्राम सभाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा ग्राम सभा मोबिलाइज़र अनुबंधित किए गए हैं।
- पेसा क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं और करीब 3363 पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- 300 हेक्टेयर तक के प्रमुख जल निकायों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दी गई है।
- करीब 90% पेसा ग्रामों में ग्राम सभाएं गठित की गई हैं।
- पेसा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही मालिकाना हक विलेख के वितरण के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। अब तक, करीब 45,159 मालिकाना हक विलेख वितरित किए गए हैं और अन्य 18,000 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं।
- राज्य में 479 वन धन विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एम.एफ.पी. के एकत्रण और छंटाई के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।
- अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार पेसा क्षेत्रों में सौर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 100% राशि वहन कर रही है।

<u>आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

- ग्राम सभाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ष 2017 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालना को बढ़ावा देना।
- पेसा के साथ राज्य विषयक कानूनों की अनुपालना की निगरानी और बढ़ावा देने की आवश्यकता।
- पेसा के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तरों को सशक्त बनाने के लिए आर.जी.एस.ए. के अंतर्गत निधियों का अनुकूल उपयोग करने की आवश्यकता

<u>छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

- पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभाओं के साथ-साथ लाइन विभागों की प्रगति पर नजर रखने के लिए निगरानी मापदंडों की चेकलिस्ट तैयार करना।
- राज्य पंचायती राज और जनजातीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के सुलभ संदर्भ के लिए पेसा से संबंधित सभी मुद्दों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के साथ एक पृष्ठभूमि नोट राज्यों के परिचालानार्थ तैयार किया गया है।
- पेसा क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को जनजातीय उप-योजना निधियों की एक प्रतिशतता आबंटित करने के तौर-तरीकों पर महाराष्ट्र राज्य के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

<u>झारखंड राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें</u> :

- ग्राम पंचायत स्तरों पर प्रयासों के अनुकूल उपयोग के लिए पंचायत के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों के निर्देशों पर तैयार की गई विभिन्न समितियों को उप समितियों के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- पेसा क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को जनजातीय उप-योजना निधियों की एक प्रतिशतता आवंटित करने के प्रयासों का पता लगाया जाएगा।
- ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना की केन्द्र स्तर पर निगरानी और समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

ओडिशा राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर लाइन विभागों के प्रतिनिधियों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता।
- ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रभावी हस्तांतरण के लिए संस्थागत तंत्र।

तेलंगाना राज्य के प्रतिनिधि द्वारा की गई प्रस्तुती की खास-खास बातें :

- संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके पेसा क्षेत्रों में अपने राजस्व स्रोतों को बढ़ावा देना।

सत्र के अंत में सलाहकार, नीति आयोग ने पेसा क्षेत्रों के विकास के लिए पेसा के महत्व पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अपने समापन भाषण में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- निम्नलिखित चुनौतियों का यथाशीघ्र समाधान किया जाना है :
  - पेसा अधिनियम के अनुपालन में राज्य कानूनों में संशोधनों को पूरा करना।
  - पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करना।
  - जी.पी.डी.पी. में संसाधनों का अभिसरण करना।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के श्री विष्णु कांत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- पेसा के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में अधिक प्रतिबद्धता तत्परता की आवश्यकता
- सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इन कानूनों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र के स्तर पर प्रशिक्षण अकादमियों में सिविल सेवकों के लिए पेसा अधिनियम, एफ.आर.ए. आदि जैसे महत्वपूर्ण नियमों से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- व्यापक आबादी के बीच अधिक जागरूकता लाने के लिए स्नातक स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पेसा अधिनियम, एफ.आर.ए. आदि जैसे महत्वपूर्ण नियमों से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य के राज्यपाल के कार्यालय में पेसा प्रकोष्ठ का गठन करना।
- राज्यों में बनाई गई 'शांति समिति' का नाम बदलकर 'न्याय पंचायत' आदि करना, जो विवाद समाधान के परंपरागत तरीकों को प्रभावी ढंग से दर्शा सके।
- राज्यों द्वारा जनता के साथ परामर्श के लिए पेसा अधिनियम से संबंधित सभी मसौदा विनियमों को परिचालित करना।
- पल्ली सभाओं जैसी मध्यवर्ती सभाओं के बजाय पेसा क्षेत्रों में स्थानीय शासन के चौथे स्तर के रूप

में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना।

- एक मिशन मोड कार्यक्रम के जरिए ग्राम सभाओं को और अधिक कार्यात्मक बनाने के लिए अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

श्री मिलिंद थट्टे, वायम ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामों के रुप में प्राकृतिक ग्रामों को अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर ग्राम सभा अध्यक्ष की भूमिका में हितों के टकराव का हल निकालना ।
- ग्राम सभाओं के स्वतंत्र कामकाज को बढ़ावा देना और ग्राम सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का का हल निकालना ।
- एफ.आर.ए. के और राज्य पेसा विनियमों में एम.एफ.पी. की परिभाषाओं में कमियों को दूर करना।
- भूमि अधिग्रहण और कर्ज देने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना ।

श्री शिवराम कृष्णन शक्ति ने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रासंगिक अधिनियमों के अनुवाद की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री गिरीश कुबेर, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं तक निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं के सक्रिय हस्तांतरण की आवश्यकता।
- जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर अभिसरण समिति के गठन की आवश्यकता।
- पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को शक्तियों के आवंटन में तालमेल सुनिश्चित करना

<u>समापन सत्र</u>

सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने समापन भाषण में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर मंत्रालयों/ विभागों के प्रयासों को अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।
- अभिसरण सुनिश्चित करना जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित करने का तरीका है।
- पेसा अधिनियम की भावना को बनाए रखने के लिए राज्य के कानूनों और विनियमों में संशोधन करना।
- जनजातीय बहुल आबादी वाले राज्यों में आदर्श गांवों के विकास को बढ़ावा देना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं की संस्था को सशक्त बनाना ।
- राज्यों को दी गई समय सीमा की अनुपालना करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय सलाहकार समूहों के गठन की संभावना तलाशेंगे।
- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अपने समापन भाषण में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

- कई राज्यों ने पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और अपने राज्य के कानूनों में आवश्यक संशोधन किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेसा अधिनियम की अनुपालना में विनियम तैयार किए गए हैं।
- यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने पहले ही पेसा नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और यह सिफारिश की जाती है कि इस प्रक्रिया में शामिल सभी राज्य सभी प्रस्तावित पेसा विनियमों के संबंध में पर्याप्त रुप से सार्वजनिक परामर्श सुनिश्चित करें।
- पंचायती राज मंत्रालय को आशा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य वर्ष 2022 की शुरुआत में अपने संबंधित पेसानियमों को अधिसूचित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय झारखंड में पेसा नियमों को अधिसूचित करने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से काम करेगा।
- 10 राज्यों में पेसा क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं और विचारों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- देश के जनजातीय समुदायों के विकास में पेसा अधिनियम की भूमिका को समझने के लिए राज्य द्वारा पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रभाव का आकलन और एक ही जिले में पेसा बनाम गैर-पेसा क्षेत्रों की तुलना की जा सकती है।
- राज्यों को राज्य पंचायती राज और जनजातीय कार्य विभागों के माध्यम से नमूने के तौर पर कम से कम कुछ गांवों के लिए मिशन अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत पहचानी गई अवसंरचना कमियों के अंतर का आकलन करना चाहिए। राज्यों द्वारा इस विश्लेषण के आधार पर सुधारपरक उपाय किए जा सकते हैं।
- राज्यों द्वारा ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रभावी योजना के लिए पेसा और गैर-पेसा क्षेत्रों के राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिज़ॉल्यूशन भू-स्थानिक जानकारी (वाटरशेड, वन आवरण, भू-स्थानिक अध्ययन आदि) का उपयोग करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
- यह महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायतों को केवल एक कार्यान्वयन एजेंसी की बजाय शासन के तीसरे स्तर के रूप में सशक्त बनाया जाए ।
- यह महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित क्षेत्रों/ जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाया जाए और इन क्षेत्रों को एसडीजी में अग्रणी बनाने के लिए चिह्नित किया जाए।
- पेसा क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी की भावना का निर्माण करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सुविधा मिले।
- भारत सरकार पेसा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और तदोपरांत देश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास में योगदान देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा नीति आयोग के सहयोग से समन्वित प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- गणमान्य व्यक्तियों और राज्यों से आए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

****

अनुलग्नक -I

पेसा पर राष्ट्रीय सम्मेलन,

18 नवंबर, 2021, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

प्रतिभागियों की सूची

1) श्री भगत सिंह कोश्यारी, माननीय राज्यपाल, महाराष्ट्र

2) श्री अर्जुन मुंडा, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री

3) श्री गिरिराज सिंह, माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री

4) श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री

5) श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

6) श्री अनिल कुमार झा, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय से प्रतिभागी

7) डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव

8) श्री खुशवंत सिंह सेठी, संयुक्त सचिव

9) सुश्री रेखा यादव, संयुक्त सचिव

10) श्री राजकुमार दिग्विजय, माननीय पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव

11) श्री अमूल केत, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री के निजी सचिव

12) श्री शिव शंकर प्रसाद, निदेशक

13) श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी, निदेशक

14) श्रीमती मालती रावत, उप सचिव

15) श्री विजय कुमार, उप सचिव

16) श्री ए.के.मिश्रा, उप सचिव

17) श्री तारा चंदर, अवर सचिव

18) श्री पुनीत शर्मा, अवर सचिव

19) श्री निर्मल प्रफुल टोप्पो, अवर सचिव

20) श्री हरकेश चंदर, अवर सचिव

21) श्री पंकज कुमार, अवर सचिव

22) श्री एस मोहित राव, सलाहकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रतिभागी

23) डॉ. अनिल कुमार अड्डेपल्ली, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के निजी सचिव

24) श्री मनोज बोपना, निदेशक

25) श्री उत्तम कुमार कर, अवर सचिव

26) डॉ. दिनेश कुमार झा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव

27) श्री राहुल कुमार, उप निदेशक

28) श्री आशीष शुक्ला, सलाहकार एसटीसी

केंद्रीय मंत्रालयों/ नीति आयोग से प्रतिभागी

29) श्री अविनाश मिश्रा, सलाहकार, नीति आयोग

30) डॉ. सुमंतर पाल, आर्थिक सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

31) श्री एस सी मीणा, निदेशक, वित्त मंत्रालय

32) डॉ. प्रशांत अर्मोरीकर, अपर आयुक्त, कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

33) श्री डी.पी. सिंह, उप सचिव, कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय

34) श्रीमती माया पांडे, उप सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्रालय

एन.आई.आर.डी.पी.आर. से प्रतिभागी

35) श्री जी. नरेंद्र कुमार, महानिदेशक, एन.आई.आर.डी.पी.आर.

36) श्री एस एन राव, एसोसिएट प्रोफेसर, एन.आई.आर.डी.पी.आर.

37) डॉ रुबीना नुसरत, एसोसिएट प्रोफेसर, एन.आई.आर.डी.पी.आर.

आंध्र प्रदेश राज्य से प्रतिभागी

38) श्री कांतिलाल डांडे, सचिव, जनजातीय कार्य विभाग

39) डॉ पल्ला त्रिनाधा राव, एडवोकेट एवं शोधार्थी, कानूनी सलाहकार, जनजातीय कल्याण विभाग, विजयवाड़ा

चंडीगढ़ राज्य से प्रतिभागी

40) श्री आर प्रसना, सचिव, पंचायती राज विभाग

41) श्री संजय गौड़, अपर निदेशक, जनजाति कल्याण विभाग

42) श्री दिनेश अग्रवाल, उप निदेशक, पंचायती राज विभाग_

गुजरात राज्य से प्रतिभागी

43) श्री संदीप कुमार, आयुक्त, पंचायती राज विभाग_

44) सुश्री शीतल गोस्वामी, संयुक्त आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग

45) श्री सी. जी. रबाडिया, सहायक आयुक्त, जनजातीय विकास आयुक्त कार्यालय

46) श्री दिग्विजय सिंह, अपर विकास आयुक्त, पंचायती राज विभाग

47) श्री आई.एस. प्रजापति, पंचायती राज विभाग, सहायक विकास आयुक्त

हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रतिभागी

48) श्री ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक सह सचिव, पंचायती राज

49) श्री सतीश शर्मा, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग

50) श्री कैलाश चौहान, उप निदेशक (जनजातीय)

51) श्री विवेक गुलेरिया, बी.डी.ओ. (पंचायती राज)

<u>झारखंड राज्य से प्रतिभागी</u>

52) कमल किशोर सोन, सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण

53) श्री राहुल शर्मा, सचिव, पंचायती राज विभाग

54) सुश्री मेघा भारद्वाज, उप विकास आयुक्त, पंचायती राज विभाग

55) श्री लोकेश मिश्रा, सी.ई.ओ., जिला परिषद, पंचायती राज विभाग_

<u>महाराष्ट्र राज्य से प्रतिभागी</u>

56) डॉ. राजेंद्र भारुद, आयुक्त, जनजातीय अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, जनजातीय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

57) श्री विक्रांत बागडे, निदेशक, राज्य पेसा

58) श्री अतुल गोडे, राज्य पेसा समन्वयक

<u>मध्य प्रदेश राज्य से प्रतिभागी</u>

59) सुश्री शिलबाला मार्टिन, निदेशक, जनजातीय कार्य विभाग

60) श्री प्रद्युम्न शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग

<u>ओडिशा राज्य से प्रतिभागी</u>

61) श्री अशोक मीणा, प्रधान सचिव, पी.आर. एवं डी.डब्ल्यू. विभाग

62) सुश्री पूनम गुहा, निदेशक एस.टी., जनजातीय कार्य विभाग

63) डॉ प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग

<u>राजस्थान राज्य से प्रतिभागी</u>

64) डॉ. प्रणीश कुमार, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग

65) श्री शंभू दयाल मीणा, अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग

<u>तेलंगाना राज्य से प्रतिभागी</u>

66) श्री ई श्रीधर, विशेष सचिव, जन जाति कल्याण विभाग

<u>गैर सरकारी संगठनों / सी.एस.ओ. से प्रतिभागी</u>

67) श्री विष्णु कांत, गैर सरकारी संगठन, ए.बी.वी.के.ए.

68) श्री कल्याण गिरीश कुबेर, गैर सरकारी संगठन, ए.बी.वी.के.ए.

69) डॉ शिव रामकृष्ण शक्ति, गैर सरकारी संगठन हैदराबाद

70) श्री मिलिंद थट्टे, वायम, जव्हार, गैर सरकारी संगठन, महाराष्ट्र

अनुलग्नक II

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय

पेसा अधिनियम पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 18 नवंबर 2021 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे) हाल नं. 1, विज्ञान भवन, नई दिल्ली

9:30 पूर्वाह्न **- 10:00** पूर्वाह्न	प्रतिभागियों का पंजीकरण एवं चाय
10:00 पूर्वाह्न **- 11:00** अपराह्न	उद्घाटन सत्र
10:00 पूर्वाह्न - 10:03 पूर्वाह्न	गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत
10:03 पूर्वाह्न - 10:08 पूर्वाह्न	दीप प्रज्ज्वलन के साथ सम्मेलन का उद्घाटन
10:08 पूर्वाह्न - 10:13 पूर्वाह्न	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्वागत भाषण
10:13 पूर्वाह्न - 10:25 पूर्वाह्न	महानिदेशक, एन.आई.आर.डी.पी.आर. द्वारा प्रस्तुतीकरण, पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन का अवलोकन
10:25 पूर्वाह्न - 10:35 पूर्वाह्न	माननीय पंचायती राज मंत्री का संबोधन
10:35 पूर्वाह्न - 10:45 पूर्वाह्न	माननीय जनजातीय कार्य मंत्री का संबोधन
10:45 पूर्वाह्न - 10: 55 पूर्वाह्न	महामहिम राज्यपाल, महाराष्ट्र का अभिभाषण
10:55 पूर्वाह्न - 11:00 पूर्वाह्न	धन्यवाद प्रस्ताव
11:00 पूर्वाह्न - 12:10 अपराह्न	**सत्र I: पेसा के अंतर्गत विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था** **अध्यक्षता : सचिव, राष्ट्रीय जनजाति आयोग**
11:00 पूर्वाह्न - 11:05 पूर्वाह्न	संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतीकरण
11:05 पूर्वाह्न - 11:45 अपराह्न	छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों (पंचायती राज विभाग और जनजातीय विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से) द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण - प्रत्येक 10 मिनट
11:45 पूर्वाह्न - 12:05अपराह्न	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दृष्टिकोण - 3 मिनट
12:05 अपराह्न - 12:10 अपराह्न	अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन
12:10 अपराह्न - 1:20 अपराह्न	**सत्र II: पेसा राज्यों में संसाधन व्यवस्था** **अध्यक्षता : संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय**

12:10 अपराह्न - 12:15 अपराह्न	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतीकरण
12:15 अपराह्न - 12:45 अपराह्न	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्यों (पंचायती राज विभाग और जनजातीय विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से) द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण - प्रत्येक 10 मिनट
12:45 अपराह्न - 1: 05 अपराह्न	छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान राज्य का दृष्टिकोण - 3 मिनट
1:05 अपराह्न - 1:15 अपराह्न	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतीकरण
1:15 अपराह्न - 1:20 अपराह्न	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्र समापन
1:20 - 2:00 अपराह्न	**मध्याह्न भोजन**
2:00 - 3:00 अपराह्न	**सत्र III : पेसा की योजना और कार्यान्वयन - भावी कार्रवाई** **अध्यक्षता : अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय**
2:00 - 2:05 अपराह्न	संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतीकरण
2:05 - 2:35 अपराह्न	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्यों (पंचायती राज विभाग और जनजातीय विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से) द्वारा भावी कार्रवाई पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण - प्रत्येक 10 मिनट
2:35 अपराह्न - 3:00 अपराह्न	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना का दृष्टिकोण **- 3** मिनट
3:00 अपराह्न - 3:10 अपराह्न	सलाहकार, नीति आयोग द्वारा प्रस्तुतीकरण, अनुसूची V क्षेत्रों में विकास के लिए पेसा का महत्व।
3:10 अपराह्न - 3:15 अपराह्न	अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सत्र समापन
3:15 अपराह्न - 3:30 अपराह्न	जलपान
3:30 अपराह्न **- 4:30** अपराह्न	पेसा के कार्यान्वयन को मजबूत करने में गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका **:** अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम और अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तुतीकरण
4:30 अपराह्न - 4:45 अपराह्न	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संक्षिप्त समापन भाषण
4:45 अपराह्न - 4: 50 अपराह्न	उप सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव